



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 की उपधारा (1) (ख) के अनुसार विभाग से संबंधित जानकारियाँ

(1) संस्था की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य :

- प्रशासकीय विभाग :- कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ।
- संचालक कार्यालय :- संचालक तकनीकी शिक्षा, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर ।
- संबद्धता :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नेवई, भिलाई ।
- AICTE EoA No :- F.No. Central/1-36230138709/2023/EOA Date: 15-May-2023
- CSVTU Affiliation No :- No./CSVTU/Affil/2023-24/3702, date 11-07-2023

संस्था निम्नानुसार शाखाओं में तीन वर्षीय नियमित पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम संचालित करती हैं :-

क्र.	प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ➔	प्रथम वर्ष	(लैटरल) द्वितीय वर्ष
		कक्षा 10 उत्तीर्ण एवं PPT में सम्मिलित	कक्षा 12 विज्ञान उत्तीर्ण अथवा प्रासंगिक शाखा में ITI उत्तीर्ण
	संकाय का नाम ↓	प्रवेश क्षमता	प्रवेश क्षमता
1.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	30+02*	03 + प्रथम वर्ष की समस्त रिक्त सीटें
2.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	30+02*	03 + प्रथम वर्ष की समस्त रिक्त सीटें
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली. इंजीनियरिंग	30+02*	03 + प्रथम वर्ष की समस्त रिक्त सीटें
	कुल	90+06* * TFW Seat	09 + प्रथम वर्ष की समस्त रिक्त सीटें

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां

तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. संचालनालय द्वारा राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत ऑन-लाइन काउंसिलिंग के द्वारा संस्था में प्रवेश देने की प्रक्रिया ।
2. प्रशासकीय एवं शैक्षणिक कार्यों का संपादन ।
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण ।
4. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:-

- 1 अनुभाग लिपिक → लेखापाल → मुख्यलिपिक → प्राचार्य
- 2 व्याख्याता → विभागाध्यक्ष → प्राचार्य

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:-

- 1 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के समस्त नियमों का पूर्णतः अनुपालन करना ।
- 2 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन ।
- 3 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा 03 वर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु अध्यादेश (17) के तहत निर्धारित नियमों/मानदण्डों का अनुपालन ।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-

1. छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार ।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली के निर्धारित मानदण्ड ।
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा निर्धारित नियम ।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण:-

- संस्था के समस्त अनुभागों में संधारित अभिलेख ।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:

- शासन/संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप ।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण:-

प्रवेश समिति

1. श्री प्रीतम आर. चरखा (विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर साइंस) — अध्यक्ष
2. श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया (व्याख्याता - कम्प्यूटर साइंस) — सदस्य
3. श्री राजू खलखो (तकनीकी सहायक - कम्प्यूटर साइंस, प्रभारी शैक्षणिक) — सदस्य
4. श्री धर्मेन्द्र डहरिया, कुशल परिचारक (प्रयो.) — सदस्य

एंटी रैगिंग समिति

1. श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया (व्याख्याता - कम्प्यूटर साइंस) — अध्यक्ष
2. श्री सोमेश यादव (व्याख्याता - ई एण्ड टी) — सदस्य
3. श्रीमती मनोरमा साहू - (व्याख्याता भौतिकी) — सदस्य
4. श्री ईश्वर कश्यप (प्रयो. तक.) — सदस्य
5. श्री राजू खलखो (तकनीकी सहायक) — सदस्य
6. थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली कबीरधाम "रैगिंग रोकथाम समिति" के माननीय सदस्य हैं ।

क्रय एवं अपलेखन समिति

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री प्रीतम आर. चरखा (प्र. प्राचार्य) | — अध्यक्ष |
| 2. श्री सत्येन्द्र चन्द्रवंशी (प्राचार्य, आई.टी.आई, कवर्धा) | — सदस्य |
| 3. श्री प्रमोद कुमार जैन (जिला रोजगार अधिकारी, कवर्धा) | — सदस्य |
| 4. श्री डी. एल. पुसाम (महाप्रबंधक, उद्योग विभाग) | — सदस्य |
| 5. श्री जयनारायण नेताम (लेखापाल, शास. पॉली. कबीरधाम) | — सदस्य |

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर / Email	अभ्युक्ति
1.	श्री प्रीतम आर. चरखा	प्राचार्य (अति. प्र.) / विभागाध्यक्ष — कम्प्यूटर साइंस	07441-233306, 232636	--
2.	श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया	व्याख्याता— कम्प्यूटर साइंस/ प्र. विभागाध्यक्ष — ई एण्ड टि	poly_kabirdham@rediffmail.com	--
3.	श्री सोमेश यादव	व्याख्याता— ई एण्ड टि / प्र. विभागाध्यक्ष — विद्युत		--
4.	श्री राहुल कुमार श्रीवास्तव	व्याख्याता— विद्युत		दि. 24/08/2022 से अध्ययन अवकाश पर
5.	श्री विमल सिंह बिंद	व्याख्याता— ई एण्ड टि		--
6.	श्री अविनाश कुमार सिंह	व्याख्याता— कम्प्यूटर साइंस		--
7.	श्री अभिषेक कुमार सिंह	व्याख्याता— विद्युत		--
8.	श्रीमती पूजा देवांगन	व्याख्याता— ई एण्ड टि		दि. 26/09/2023 से मातृत्व अवकाश पर
9.	श्रीमती मनोरमा साहू	व्याख्याता—भौतिकी		--
10.	श्री जयनारायण नेताम	सहा. ग्रेड -2/ लेखापाल		--
11.	श्री राजेन्द्र सिंह	सहा. ग्रेड -3		--
12.	श्री जयप्रकाश साहु	सहा. ग्रेड -3		--
13.	श्री अखिलेश कुमार	मानचित्रकार		--
14.	श्री राजू खलखो	तकनीकी सहायक		परिवीक्षाधीन
15.	श्री ईश्वर कुमार कश्यप	प्रयोगशाला तकनीशियन		--
16.	श्री डुलेश्वर कुमार पटेल	कुशल परिचारक प्रयोगशाला		--
17.	श्री प्रदीप कुमार साहु	कुशल परिचारक प्रयोगशाला		--
18.	श्री धर्मेन्द्र डहरिया	कुशल परिचारक प्रयोगशाला		परिवीक्षाधीन
19.	श्री अर्जुन सिंह ठाकुर	कुशल सहायक कर्मशाला		परिवीक्षाधीन
20.	श्री अश्वन कुमार भारद्वाज	कुशल सहायक कर्मशाला		परिवीक्षाधीन
21.	श्री गीताराम रात्रे	कुशल सहायक कर्मशाला		परिवीक्षाधीन
22.	श्री नितीन कुमार तम्बोली	कुशल सहायक कर्मशाला		परिवीक्षाधीन
23.	श्री अजय कुमार निर्मलकर	प्लम्बर/फीटर		परिवीक्षाधीन
24.	श्री मुकेश कुमार	ट्रेसर		--
25.	श्री महेश कुमार यादव	भृत्य		--
26.	श्री रविशंकर सिदार	फर्राश		--
27.	श्री संजु	फर्राश		--

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो:-

संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक वेतन माह अगस्त 2021			
क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन (लेवल)
1.	श्री प्रीतम आर. चरखा	प्राचार्य (अति. प्र.)/ विभागाध्यक्ष – कम्प्यूटर साइंस	13A1
2.	श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया	व्याख्याता- कम्प्यूटर साइंस/ प्र. विभागाध्यक्ष – ई एण्ड टि	10
3.	श्री सोमेश यादव	व्याख्याता- ई एण्ड टि / प्र. विभागाध्यक्ष – विद्युत	10
4.	श्री राहुल कुमार श्रीवास्तव	व्याख्याता-विद्युत	9A
5.	श्री विमल सिंह बिंद	व्याख्याता- ई एण्ड टि	10
6.	श्री अविनाश कुमार सिंह	व्याख्याता- कम्प्यूटर साइंस	10
7.	श्री अभिषेक कुमार सिंह	व्याख्याता-विद्युत	9A
8.	श्रीमती पूजा देवांगन	व्याख्याता- ई एण्ड टि	9A
9.	श्रीमती मनोरमा साहू	व्याख्याता-भौतिकी	10
10.	श्री जयनारायण नेताम	सहा. ग्रेड -2/लेखापाल	6
11.	श्री राजेन्द्र सिंह	सहा. ग्रेड -3	6
12.	श्री जयप्रकाश साहु	सहा. ग्रेड -3	4
13.	श्री अखिलेश कुमार	मानचित्रकार	8
14.	श्री राजू खलखो	तकनीकी सहायक-सी.एस.ई.	7
15.	श्री ईश्वर कुमार कश्यप	प्रयोगशाला तकनीशियन	7
16.	श्री डुलेश्वर कुमार पटेल	कुशल परिचारक प्रयोगशाला	4
17.	श्री प्रदीप कुमार साहु	कुशल परिचारक प्रयोगशाला	4
18.	श्री धर्मेन्द्र डहरिया	कुशल परिचारक प्रयोगशाला	4
19.	श्री अर्जुन सिंह ठाकुर	कुशल सहायक कर्मशाला	4
20.	श्री अश्वन कुमार भारद्वाज	कुशल सहायक कर्मशाला	4
21.	श्री गीताराम रात्रे	कुशल सहायक कर्मशाला	4
22.	श्री नितीन कुमार तम्बोली	कुशल सहायक कर्मशाला	4
23.	श्री अजय कुमार निर्मलकर	प्लम्बर/फीटर	4
24.	श्री मुकेश कुमार	ट्रेसर	4
25.	श्री महेश कुमार यादव	भृत्य	3
26.	श्री रविशंकर सिदार	फर्राश	1
27.	श्री संजु	फर्राश	1

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:-

क्र.	योजना / कार्यक्रम / सेक्टर	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)
1.	वेतन भत्ते आदि	255.80
2.	मजदूरी	3.00
3.	यात्रा भत्ता	0.35
4.	कार्यालयीन व्यय	10.0198
5.	प्रशिक्षण	0.60
6.	छात्रवृत्तियां एवं अन्य हितलाभ	0.00
7.	अन्य हितलाभ (संबद्धता शुल्क)	0.40
8.	अनुरक्षण कार्य 001 मोटर गाडी	0.50
9.	मशीन तथा उपकरण	1.60
10.	सामग्री और पूर्तियाँ	0.50
11.	औजार एवं संयंत्र	0.10
12.	कोचिंग प्रतियोगिताएं (खेलकूद)	0.30
13.	बी.पी.एल. छात्रवृत्ति	0.00
14.	समाग्री और पूर्तिया 006 अन्य व्यय	1.00
15.	मांग संख्या (एस. सी. /एस. टी.) कोचिंग	1.00
16.	बुक बैंक की स्थापना	1.50

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना : तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों को बैंको द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है ।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या अधिकारी के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों :

ट्यूशन फी वेवर स्कीम : यह योजना सत्र 2007-08 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत ब्रांचवार स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें फी वेवर सीटें हैं । मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र-छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रैंक है ।

(14) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

—वेब साईट cgdteraipur.cgstate.gov.in या www.gpkabirdham.ac.in पर उपलब्ध है।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण सम्मिलित हैं:

—निरंक ।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ :-

क्र.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	डॉ. एम. एल. अग्रवाल अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर	प्रथम अपिलिय अधिकारी	7415367124
2.	श्री प्रीतम आर. चरखा प्राचार्य (अति. प्र.)	जन सूचना अधिकारी	07741—232636 07741—233306
3.	श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया व्याख्याता— कम्प्यूटर साइंस	सहायक जनसूचना अधिकारी	
4.	श्री जयप्रकाश साहु सहायक ग्रेड—3	प्रभारी लिपिक	

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए : विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1. संस्था में विषयवार प्रवेश क्षमता एवं शैक्षणिक सत्र 2023—24 की स्थिति में प्रवेशित छात्रों संबंधी विवरण

क्र.	विषय का नाम	प्रथम सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर
1.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	13	16	20
2.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	6	10	7
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली. इंजीनियरिंग	00	00	00
कुल		19	26	27
		कुल : 72		

2. राष्ट्रीय सेवा योजना : वर्ष 2013 से संचालित हैं, जिसमें 100 स्वयंसेवकों की इकाई हैं एवं श्री सोमेश यादव, व्याख्याता— ई. एण्ड टि. कार्यक्रम अधिकारी हैं ।

3. पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु संचालित स्कॉलरशीप योजनायें —

क्र.	छात्रवृत्ति का नाम	आवश्यक अर्हतायें	जमा किये जाने वाले दस्तावेज
1.	पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (SC / ST / OBC) (State)	1. छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। 2. विद्यार्थी की आधार नंबर होना अनिवार्य है। 3. विद्यार्थी का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। 4. एस.सी./एस.टी.छात्रों के पालक की आय रु. 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिये। 5. ओ.बी.सी.छात्रों के पालक की आय रु. 1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिये।	1. 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति। 2. मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3. स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 4. आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति। 5. प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति। 6. बैंक पासबुक की छायाप्रति। 7. आधार कार्ड की छायाप्रति। 8. रु. 230 प्रति माह (एस.सी एवं एस.टी.) 9. रु. 100 प्रति माह (ओ.बी.सी.)

2.	बी.पी.एल छात्रवृत्ति (सामान्य वर्ग) (State)	<ol style="list-style-type: none"> छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के पास बी.पी.एल कार्ड होना अनिवार्य है। छात्र-छात्राओं का नाम बी.पी.एल. कार्ड में अंकित होना चाहिए। छात्र-छात्रायें पिछली सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहियें। 	<ol style="list-style-type: none"> 10 / 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति। निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। पी.पी.टी.स्कोर कार्ड की छायाप्रति। बी.पी.एल कार्ड की छायाप्रति। बैंक पासबुक की छायाप्रति। नवीनीकरण हेतु पूर्व में उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति। संचालनालय द्वारा पी.पी.टी. आबंटन कापी की छायाप्रति। रु. 500प्रति माह (अधिकतम 10 माह)
3.	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (Central)	<ol style="list-style-type: none"> अल्पसंख्यक समुदाय में निम्न जाति आते हैं— i) सीख ii) ईसाई iii) पारसी iv) जैन v) बौद्ध vi) मुस्लिम। पिछली वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50% या 50% से अधिक प्राप्त किया हो। परिवार की वार्षिक आय रु. 2,00,000 (दो लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र / छात्राओं के नाम का बैंक एकाउंट होना अनिवार्य है। 	<ol style="list-style-type: none"> ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति। पिछली सभी सेमेस्टर की उत्तीर्ण (न्यूनतम 50%) अंकसूची की छायाप्रति। आधार कार्ड की छायाप्रति। बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ) की छायाप्रति। निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
4.	योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (State)	<ol style="list-style-type: none"> 10 / 12 वीं की परीक्षा छ.ग. राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 45% अंक होना चाहिये। लैटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र के लिए आई.टी.आई. / 12 वीं की व्यवसायिक प्रमाण पत्र धारी छात्र / छात्राओं को अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिये। छात्र के पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। 	<ol style="list-style-type: none"> 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति पी.पी.टी स्कोर कार्ड एवं आबंटन कापी की छायाप्रति। आई.टी.आई. / 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति लैटरल एंट्री के लिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
5	योग्यता छात्रवृत्ति (State)	<ol style="list-style-type: none"> 10 / 12 वीं की परीक्षा छ.ग. राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60% अंक होना चाहिये। इस छात्रवृत्ति हेतु आय का कोई बंधन नहीं है। लैटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र के लिए आई.टी.आई. / 12 वीं की व्यवसायिक प्रमाण पत्र धारी छात्र/छात्राओं को अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक होना चाहिये। 	<ol style="list-style-type: none"> 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति पी.पी.टी स्कोर कार्ड एवं आबंटन कापी की छायाप्रति। आई.टी.आई. / 12 वीं अंकसूची की छायाप्रति लैटरल एंट्री के लिए।
6	डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (ई.बी.सी.) (सामान्य वर्ग) (Central)	<ol style="list-style-type: none"> यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिये है। छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय रु. 100000 (एक लाख) रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 	<ol style="list-style-type: none"> ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति। निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (सक्षम अधिकारी के द्वारा)। रु. 160 प्रति माह।
7.	दिव्यांगजन हेतु छात्रवृत्ति	<ol style="list-style-type: none"> 40% या उससे अधिक के दिव्यांगजन। 	<ol style="list-style-type: none"> ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति। निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

	(Central)	<p>2. छ.ग. राज्य का मुल निवासी होना आवष्यक है।</p> <p>3. परिवार की वार्षिक आय रु. 250000 (रुपये दो लाख पचास हजार) रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>4. गत परिक्षा में उत्तीर्ण हो।</p>	<p>3.आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।(सक्षम अधिकारी के द्वारा)।</p> <p>4. दिव्यांगजन प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी के द्वारा)।</p> <p>5. रु. 230 प्रति माह ।</p>
8.	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मेरिट कम मिन्स (Central)	<p>1. अल्पसंख्यक समुदाय में निम्न जाति आते हैं— ii) सीख ii) ईसाई iii) पारसी iv) जैन v) बौद्ध vi) मुस्लिम।</p> <p>2. पिछली वर्ष की परीक्षा में न्युनतम 50% या 50% से अधिक प्राप्त किया हो।</p> <p>3. परिवार की वार्षिक आय रु. 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>4. छात्र / छात्राओं के स्वयं के नाम का बैंक एकाउंट होना अनिवार्य है।</p> <p>5. आवेदक का आधार नम्बर होना आवष्यक है।</p> <p>6. छ.ग. राज्य का मुल निवासी होना आवष्यक है।</p>	<p>1. ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति।</p> <p>2. पिछली सभी समेस्टर की उत्तीर्ण (न्युनतम 50%) अंकसूची की छायाप्रति।</p> <p>3. आधार कार्ड की छायाप्रति।</p> <p>4. बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ) की छायाप्रति।</p> <p>5. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।</p> <p>6. आय एवं जाति के संबंध में शपथ पत्र की मूलप्रति।</p> <p>7. आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।(सक्षम अधिकारी के द्वारा)।</p>

4. संस्था में संचालित छात्र कल्याणकारी योजनायें :-

1. एस.सी./एस.टी. के छात्र-छात्राओं हेतु विशेष कोंचिग कक्षाओं का संचालन ।
2. एस.सी./एस.टी. के छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी एवं ड्राईंग सामग्री का प्रदाय ।
3. एस.सी./एस.टी.के छात्र-छात्राओं हेतु बुक-बैंक योजनाओं के तहत पुस्तकों की पृथक व्यवस्था ।
4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत छात्र-छात्राओं को बैंको द्वारा शिक्षा ऋण प्रदाय योजना ।
